राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स ,जेल रोड, भोपाल

क/एनएचएम/एच.आर./2020/ 8167 भोपाल, दिनांक 25-06-2020

प्रति,

1.समस्त जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति,म.प्र.।
2.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।

विषयः– COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु मानव संसाधन के लिये 03 माह की वृद्धि दिनांक 30.09.2020 तक करने के संबंध में।

संदर्भः–1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं का परिपत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/288, दिनांक 25/3/2020.
2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का परिपत्र क्रमांक एनएचएम/ एचआर/ 2020/6797 भोपाल दिनांक 24/5/2020
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का परिपत्र क्रमांक एनएचएम/ एचआर/ 2020/7313 भोपाल दिनांक 05/06/2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्रों से जिला स्तर पर चिकित्सक/स्टॉफ नर्स /पैरामेडिकल स्टॉफ को अस्थायी अवधि 3 माह (30.06.2020) तक के लिये नियोजित करने के अधिकार प्रत्योजित किये गये थे एवं उल्लेखित स्टाफ को मासिक मानदेय भुगतान हेतु पृथक से बजट आवंटित किया गया था जिससे की संबंधित कर्मचारियों को मासिक मानदेय का भुगतान नियमित रूप से हो सके।

पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

स. क	पदनाम	योग्यता	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	1. एम.डी. मेडिसिन 2. एम.डी.ऐनेस्थिशिया 3. पलमोनोलॉजिस्ट	1,25,000/–(डिग्री) 1,10,000/–(डिप्लोमा) इसके अतिरिक्त COVID-19 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में विषय विशेषज्ञता के कारण इन्हें100%प्रोत्साहन (Incentives) राशि देय होगी।
2	चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौसिंल में जीवित पंजीयन ।	60,000/–
3	आयुष चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक)	बी.ए.एम.एस/ बी.यू.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं म.प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित पंजीयन /म.प्र. होम्योपैथी परिषद में जीवित पंजीयन ।	25,000/–
4	स्टॉफ नर्स (महिला/पुरूष)	नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त एवं म.प्र. नर्सिंग कौसिंल में जीवित पंजीयन।	20,000/–
5	एएनएम	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त एवं म.प्र. नर्सिंग कौसिंल जीवित पंजीयन।	12,000/–
6	पैरामेडिकल स्टॉफ 1. फार्मासिस्ट	1. औषध निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में बी–फार्मा अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में एम फार्मा तथा म. प्र. फार्मेसी कौसिंल का जीवित पंजीयन ।	15,000/–
	2. लैब टेक्निशियन	2. पैथलॉजी का 02 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का डिग्री पाठ्यक्रम (बीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमएमएलटी) तथा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।	15,000/–

सपोर्ट स्टॉफ (वार्ड बॉय), क्लीनिंग स्टॉफ, सिक्युरिटी गार्ड को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर अस्थायी रूप से तीन माह हेतु आवश्यकतानुसार लिया जा सकेगा।

कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु दिनांक 30.06.2020 तक मानव संसाधन रखने की अनुमति को दिनांक 30.09.2020 तक अस्थायी रूप से निंरतर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

दिनांक 01.07.2020 के बाद कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होने पर स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं को अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें एवं समस्त प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाये।

अतः कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यायोजित किये गए अधिकारों से बाहर जाकर पदों की विज्ञप्ति जारी की गई हो तो उसे तत्काल निरस्त करें, अन्यथा परिपत्रों में उल्लेखित दिशा निर्देशों से बाहर जाकर की जाने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अथवा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं उत्तरदायी नहीं होगा।
(प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
एनएचएम, मध्यप्रदेश

क/एनएचएम/एच.आर./2020/8168 भोपाल, दिनांक–25.06.2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा ,मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शाासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,मध्यप्रदेश।
4. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.।
5. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.।
6. अपर संचालक विज्ञप्त/अविज्ञप्त/नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
7. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम.,म.प्र.।
8. अपर संचालक, आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
9. प्रभारी कोविड–19 , आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
10. उप संचालक मानव संसाधन/लीगल एन.एच.एम.,म.प्र.।
11. उप संचालक आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
12. उप संचालक आई.टी.,एनएचएम की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
14. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,म.प्र.।
15. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
एनएचएम, मध्यप्रदेश